रविवार, 02 फरवरी 2020, नई दिल्ली, पांच प्रदेश, 21 संस्करण

हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

सबसे लंबे बजट भाषण में आयकर पर राहत, किसानों को भी साधा

सुस्ती से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद से कम मिला

- सस्ते घरों के लिए ब्याज में छूट की मियाद सालभर बढ़ाई

नोएडा | वरिष्ठ संवाददाता

आर्थिक सुस्ती से गुजर रहे रियल सेक्टर से जुड़े बिल्डर बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और घर खरीदारों को होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट की सीमा पांच लाख तक की जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

सरकार ने दिलाशा दिलाने के लिए किफायती आवास योजना में फ्लैट लेने पर साढ़े तीन लाख तक ब्याज में छूट की सीमा का समय मार्च 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है। ऐसे में जो खरीदार नोएडा-ग्रेनो में घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अभी एक साल तक फायदा लेने का मौका है। किफायती आवास योजना के अंतर्गत घर की कीमत 40 लाख तक होने के अलावा और भी कई नियम बने हुए हैं।

बिल्डरों का कहना है कि अभी साधारण तरीके से फ्लैट खरीदने के लिए लिए होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख है जबकि किफायती आवास के तहत फ्लैट लेने के लिए होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट की सीमा साढ़े तीन लाख है। बिल्डर मांग कर रहे थे कि किफायती आवास से अलग सभी तरह के मकानों पर होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए। इसके अलावा रियल सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाए जिससे की लोन व अन्य सुविधाएं आसानी से मिल सकें।

इस बारे में अजनारा के सीएमडी अशोक गुप्ता का कहना है कि इस सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए घर खरीदार और बिल्डर, दोनों को और अधिक सहूलियत मिलती तो अच्छा होता। स्पेक्ट्रम मेट्रो परियोजना के प्रोजेक्ट हेड सागर सक्सेना का कहना है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए कोई पैसा नहीं दिया लेकिन इंफ्रास्टक्चर के लिए 100 लाख करोड़ की घोषणा से घर खरीदारों के अधिक संख्या में आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले 25 हजार करोड के स्ट्रेस फंड की घोषणा की थी। इसको लेने के लिए नियम काफी सख्त हैं। बिल्डरों का कहना है कि यह फंड मिलना दूर का सपना है।

02 लाख 50 हजार खरीदार नोएडा-ग्रेनो में अपना फ्लैट पाने के इंतजार में

बजट की घोषणाएं रियल एस्टेट के नजरिए से मिश्रित बैग हैं। कम दरों और कई छूट के साथ आयकर व्यवस्था का सरलीकरण, एक और साल तक किफायती आवास के लिए घोषित उपायों का विस्तार इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा निराश है। इस सेक्टर से जुड़ी कई मांगें पूरी नहीं की गई।

-मनोज गौड़, चेयरमैन अफोर्डेबल हाउसिग कमेटी, क्रेडाई

10 साल पहले बिल्डर के प्रोजेक्ट में बुकिंग कराई थी, नहीं मिला घर

होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करने की जरूरत थी। टैक्स बचने पर नए खरीदार आते जिससे रियल सेक्टर में उछाल की उम्मीद थी। दिल्ली-एनसीआर में देश के कोने-कोने से लोग घर खरीदना चाहते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का भी दर्जा नहीं दिया गया, यह मांग भी अधूरी रह गई। बजट ने निराश किया है।

-सुरेश गर्ग, सदस्य, क्रेडाई, वेस्ट यूपी